न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 17／2024
दायर दिनांक : 08／05／2024
निर्णय दिनांक : 03／12／2025

उनवान

1 लादूलाल पिता हरकलाल महाजन निवासी भूपालसागर तहसील भूपालसागर
2 मिठूलाल पिता हरकलाल महाजन निवासी भूपालसागर तहसील भूपालसागर
3 प्रकाशचंद्र पिता हरकलाल महाजन निवासी भूपालसागर तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. सज्जन कंवर पत्नी रामसिंह राजपूत निवासी कपासन
2. पारस कंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी भूपालसागर
3. तहसीलदार भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

उपस्थिति : 1.श्री कृष्णचंद तुलछिया , अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री आर के लडढा, अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का वाद पत्र न्यायालय में पेश किया है जो ठोस तथ्यों पर आधारित होने से अवश्य ही डिक्री होगा मगर कुलिया सुनवाई होकर निस्तारण में काफी समय लगेगा। इस कारण यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश है। मौजा भूपालसागर तहसील भूपालसागर के हल्के बैरुनी में स्थित खाता संख्या आ0न0 2173 रकबा 0.50 है0 आ0न0 2175 रकबा 0.38 है0 आ0न0 2176 रकबा 0.07 है0 आ0चा0 स्थित है। कुल किता उक्त आराजियात हम प्रार्थीगण के नानाजी के खातेदारी में अंकित थी हमारे नानाजी की मौत के समय वादीगण प्रार्थीगण छोटे थें। इसलिए गलती से हमारे बडे भाई सुगनेश के नाम अंकित हो गई है। जबकि उक्त आराजियात हम प्रार्थीगण के हिस्से में आई इसलिए गत 25 साल से हम विवादित आराजियात पर काश्त करते आ रहे है। उक्त आराजियात को प्रार्थीगण ने अपने नाम पर जमाबंदी में अंकित कराने की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अदालत में दावा प्रस्तुत कर रखा है। जिसका मुकदमा नंबर 21 सन् 2024 रे.वाद होकर पेशी दिनांक 15.04.2024 को नियत थी तथा अस्थाई निषेधाज्ञा की पेशी के मुकदमा नंबर 11／2024 होकर पेशी दिनांक 15.04.2024 को नियत थी इस दिन प्रतिवादी अप्रार्थी न0 एक सुगनेश कुमार पेशी पर उपस्थित हुआ था उनके वकील साहब राजकुमार जी भी उपस्थित हुए थे व जवाब दावा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने का मौका लिया था आगे पेशी दिनांक 14.05.2024 नियत कर ली गई। प्रतिवादी नं0 1 सुगेनश कुमार व अप्रार्थीगण दोनों पक्षकार जानते है कि विवादित आराजी बावत वाद अस्थाई निषेधाज्ञा की कार्यवाही चल रही है। इस वाद कार्यवाही के चलते प्रतिवादी नं0 1 सुगन कुमार ने विवादित आराजियात को दिनांक 16.04.24 को विक्रय पत्र के जरिए अप्रार्थी न0 2 को विक्रय कर इसका रजिस्टेशन भी कर लिया है। विवादित आराजियात हम प्रार्थीगण के नानाजी के खातेदारी की थी तथा हम चारों भाईयों के नाम पर संयुक्त खातेदारी में अंकित होना चाहिए लेकिन हम प्रार्थीगण के बडे भाई सुगनेश कुमार के गलत दर्ज हो गई। सुगनेश कुमार ने हम प्रार्थीगण को पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 09.05.2001 को लिखकर दे रखा है कि विवादित आराजियात हम प्रार्थीगण के हिस्से कब्जे की है फिर भी अप्रार्थी सुगनेश कुमार ने बिना अधिकार व वाद के चलते हुए जरिए विक्रय पत्र अप्रार्थीगण को दिनांक 16.04.2024 को विक्रय कर दिया यह विक्रय पत्र शुन्य व वोईड है ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर रेवेन्यू रेकार्ड इंतकाल खुल नही सकता लेकिन 19.04.24 को अप्रार्थीगण ने चुपके से इंतकाल भी खुलवा दिया उक्त सभी कार्यवाही कानूनी निगाह से वाईड व नलिटी है। आराजियात को हमारे हिस्से में हमारे पिता हरकलाल जी व प्रतिवादी न0 एक सुगनेश कुमार ने दिया था हम प्रार्थीगण ने विवादित आराजियात [illegible] तरफ गत 10 साल से तारबंदी लोहे की करा रखी है अप्रार्थीगण अपने परिवार के [illegible] लेकर दिनांक 29.04.24 को आए एवं विवादित आराजियात पर लगी तारबंदी [illegible] विवादित आराजियात

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2026.01.08 14:11:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

नाजायज कब्जा नही करने व प्रार्थीगण को पुश्तैनी कब्जा नही हटाने व आगे हस्तांतरित नही करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से रोका जाना आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री राजकुमार लडढा ने अधिकार पत्र व जवाब पेश किया। जवाब में सारांशतः अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 1 अस्वीकार है, आराजियात साबिक पैमायश में पहले किसके नाम पर थी इसका ज्ञान हम अप्रार्थीगण को नही है। विक्रेता सुगनेश कुमार पिता हरकलाल महाजन के नाम पर कैसे आई इसका ज्ञान हम अप्रार्थीगण को नही है। हमने तो वादग्रस्त आराजियात को सुगनेश कुमार उर्फ सुगनचंद पिता हरकलाल महाजन के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज देखी और जमीन पर कब्जा खातेदार का ही देखा इस काराण 16.0424 को 65 लाख रूप्ए विक्रेता को अदा कर विक्रय पत्र का निष्पादन हम अप्रार्थीगण के पक्ष मे पंजीयन करवा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा सुगनेश कुमार से प्राप्त किया। तब से संपूर्ण रकबे पर हम अप्रार्थीगण का 16.04.24 से कब्जा निरंतर चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने उनके जिन भाईयों के साथ आराजियात पर शामिलाती कब्जा होना बताया वह पूर्णतः गलत है। प्रार्थीगण सुगनेश कुमार के साथ कब रहे और कब अलग हुए इसका ज्ञान हम अप्रार्थीगण को नही है। ग्राम भूपालसागर में हमने तो प्रार्थीगण को सुगनेश कुमार के साथ रहते हुए नही देखा। भाईयों के बीच क्या सैटलमेंट हुआ इससे अप्रार्थीगण को कोई लेना देना नही है एवं प्रार्थीगण के पास वादग्रस्त भूमि के स्वामित्व बावत कोई दस्तावेज भी नही है। प्रार्थीगण ने लोभ व लालचवश उनके भाई सुगनेश कुमार पर भी झूठा मुकदमा न्यायालय आप में पेश किया है। जो कि किसी भी दृष्टि से चलने योग्य नही है। दिनांक 16.04.24 को आराजियात वादग्रस्त का रजिस्टर्ड विक्रयपत्र हम अप्रार्थीगण के पक्ष में लिखा जा चुका है एवं कब्जा भी हमारा हो चुका है। आराजियात को हम प्रार्थीगण ने हकवा कर काश्त के लिए तैयार कर रखी है। इसलिए प्रार्थीगण जब तक सक्षम सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर हमारे पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रयपत्र को निरस्त नही करवा लेते तब तक प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार आंशिक रूप से प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित कर पाऐ है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 आंशिक रूप से स्वीकार कर इस न्यायालय से जारी स्थगन दिनांक 08.05.24 इस निर्देश के साथ अप्रभावी किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त आराजियात किता 4 रकबा 1.75 है0 में से प्रतिवादी संख्या 1 श्री सुगनेश कुमार के 1/4 हक हिस्से तक की भूमि पर ही मूल वाद के निर्णय तक स्थगन प्रभावी रहेगा। निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2026.01.08 14:11:37 IST
Reason: SelfAttested